

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

सरकार जारिये रिपोर्ट पटवारी हक्का यनाम

प्रकरण अर्जगत धारा 91 मुलानार धुमक

प्रकरण संख्या :- **56/18**

दिनांक **31-12-18**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम **21 मुक्ति** की आ.ख.न. **810** फुल रकमा **0-91** किरान जमीन **10/4/10** में स **0-01** रकमे पर श्री **कजौडी डोमटो महेरी कुंवर** पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर **पुडासलकर** कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हक्का **21 मुक्ति** द्वारा दिनांक

को उसके विरुद्ध यानुनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. **रकेलीरेण** के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण रुकें रदियाइए किया जाकर अतिक्रमण **कजौडी डोमटो महेरी कुंवर** विवाही **समुप्री** को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमण

उपस्थित **नेवा** आया। जवान नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकयवा आ.ख.न. **810** रकमा **0-91** में स **0-01** रकमे किरान **रामपुरास्ता** के जो नियमन के योग्य नहीं है त्रिहाजा **वीरसायम** का अतिक्रमण

रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिश जाते है एव दण्ड रकम लगान **2 Pais** का 50 गुणा **1-00** रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु हीआरण को लिखा जावे, पैनल्टी **one Rs.** कपूली एव वेदखली हेतु हक्का पटवारी **समुप्री** भू.अ.निरी. **रकेली**

रेण को लिखा जाकर बाद तकनील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठुमार (अलवर) राज.

आवेदन :- प. ह.

स. सं. स. व. क. प. ह. ख. **80** ... क. व. **7**
 व. सं. **2018-19** ... क. व. **1/1**
 दो कामों की गई
11/3/19
 तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.
 कठुमार (अलवर) राज.

कठुमार (अलवर) राज.